



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या: बी-11/1/2020-एचआरएम-VI/3362

दिनांक: 02.11.2021

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्या.) (अंचल) / अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (अंचल) /
निदेशक (पीडीनास) / अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्र.)/अध्यक्ष, क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण
समितियां।

विषय: गैर कोविड-19 (सामान्य मृत्यु) के कारण केन्द्रीय बोर्ड के कोई कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में रू.आठ
लाख की एक्सग्रेसिया मृत्यु राहत निधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :- (i) मुख्यालय पत्र सं. वेलफेयर/3(100)2017-18/26वी बैठक/10594 दिनांक
25.08.2017

(ii) मुख्यालय पत्र सं. वेलफेयर/3(136)2019/पॉलिसी मैटर्स/8 दिनांक 28.04.2020

(iii) मुख्यालय पत्र सं. बी-11/1/20-एचआरएम- VI दिनांक 10.09.2020

(iv) मुख्यालय पत्र सं. बी-11/1/20-एचआरएम - VI दिनांक 01.06.2021

महोदय /महोदया,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर उपरोक्त पत्रों के संदर्भ में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/अध्यक्ष, केन्द्रीय
स्टाफ कल्याण समिति कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा मृत्यु राहत अनुग्रह निधि की राशि को रू.4.20 लाख से
बढ़ाकर रू.8 लाख करने संबंधी अनुमोदन से अवगत कराने का निदेश हुआ है। रू.8 लाख (रू आठ लाख मात्र)
की मृत्यु राहत अनुग्रह निधि का भुगतान, केन्द्रीय बोर्ड के मृतक कर्मचारी के परिवार सदस्य (नामिती अथवा कानूनी
उत्तराधिकारी) को भुगतान किया जाएगा, जहां मृत्यु का कारण कोविड-19 बीमारी के अतिरिक्त अन्य कोई हो।
जहां तक कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों का संबंध है, दिनांक 28.04.2020 पत्र के माध्यम
से मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन प्रशासित होंगे।

2. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा भावी मामलों के लिए यानी कि उन मामले जहां मृत्यु
की तिथि इस परिपत्र के जारी होने की तिथि के पश्चात् हो।

अनुलग्नक : यथोपरि

भवदीया,

(उमा मंडल)


अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एच.आर.एम.) /
सचिव, क.भ.नि., सीएसडब्ल्यूसी

प्रतिलिपि :

- क.भ.नि., सीएसडब्ल्यूसी तथा सीएसपीबी के सभी सदस्य।
- केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त के स्टाफ अधिकारी।

क्रमशः.....2/-

- iii. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी अपर के.भ.नि. आयुक्त (मुख्या.) / अपर के.भ.नि. आयुक्त, मुख्यालय।
- iv. सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी।
- v. सभी आं.ले.परी.द. / आं.स.नि.
- vi. क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) द्वारा का, दिल्ली- क.भ.नि.सं. की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।



(राजकमल मीणा)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एच.आर.एम.)